


फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :- 196/2019

नरसीलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावडा चाकसू

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		[2019/01064]	
	19.11.2019	<p>प्रार्थना पत्र तहसीलदार चाकसू ने पत्रांक 7095 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा किशोर के स्थान पर रामकिशोर किये जाने के भिजवाये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थी ने जमाबंदी के खाता संख्या 45, 46 में प्रार्थी के पिता का नाम नरसीलाल पुत्र किशोर के स्थान पर नरसीलाल पुत्र रामकिशोर करवाना चाहता है इस बाबत तहसीलदार की रिपोर्ट मय पटवारी हल्का व पंचायत प्रमाण पत्र चुनाव पहिचान पत्र प्रस्तुत किये गये है उक्त दस्तावेजात के आधार पर व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नन्दगांव बासडी की जमाबन्दी संवत 2075-78 के खाता संख्या 45 में खसरा नम्बर 164, 165, 166, 189 किता 4 व 46 में खसरा नम्बर 103, 103/278, 199, 201, 202, 203, 265 किता 7 रकबा 2.05 है0 में अंकित नरसी पुत्र रामकिशोर व नरसीलाल पुत्र किशोर के स्थान पर नरसी उर्फ नरसीलाल पुत्र रामकिशोर व नरसीलाल पुत्र किशोर उर्फ रामकिशोर शुद्ध किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चाकसू (जयपुर)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चाकसू(जयपुर)  
 22/11/19

